रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 163] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2012/आषाढ़ 26, 1934

No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2012/ASADHA 26, 1934

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2012

फा. सं. एक्स. 11029/6/2010-डीडीएपी.—यत: 2010 की सिविल रिट याचिका सं. 1332-व्यक्ति विकास केन्द्र बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के दिनांक 25-11-2011 के आदेशों के अनुसार, सामान्यत: कार्यालयों में प्रयुक्त किए जाने वाले रसायनिक पदार्थ करेक्शन फ्लूड एवं थिनर के बच्चों/आवारा बच्चों द्वारा नशीली दवाओं की तरह उत्तेजक असर प्राप्त करने के लिए सांस में अंदर लेकर नशीले पदार्थ/दवा के रूप में व्यापक रूप से दुरुपयोग किए जाने की सूचना मिली है, की बिक्री को विनियमित एवं नियंत्रित करने के लिए उपाय निकालने हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक कार्य दल गठित किया गया था।

और जबकि ऐसे रासायनिक थिनर का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवर जैसे कई अन्य प्रयोजनों के लिए विभिन्न अन्य खुदरा उत्पादों में भी किया जाता है।

और जबकि कार्य दल ने दिनांक 12-1-2012 एवं 20-1-2012 को आयोजित अपनी बैठकों में इस मुद्दे पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया तथा उनका सर्वसम्मत विचार यह था कि इस समस्या को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकने वाले उपायों में एक उपाय इन रसायनों की बोतलबंद रूप में खुदरा बिक्री पर रोक लगाना तथा कलम या ऐसी ही युक्ति के रूप में उनकी बिक्री की अनुमति देना हो सकता है।

अत: अब केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित उपायों के कार्यान्वयन का आदेश देती है :—

(i) स्याही मिटाने तथा नेल पॉलिश रिमूवर, दोनों प्रयोजनों से तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों से किसी तरह के रासायनिक संघटन के बोतलबंद करेक्शन फ्लूड तथा बोतलबंद थिनर की खुदरा बिक्री के लिए निर्माण पर रोक लगाना।

(ii) स्याही मिटाने तथा नेल पॉलिश रिमूवर, दोनों प्रयोजनों से तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों से किसी तरह के रासायनिक संघटन के बोतलबंद करेक्शन फ्लूड तथा बोतलबंद थिनर की बिक्री पर रोक लगाना।

(iii) कलमों या ऐसी युक्तियों जिनमें इस्तेमाल करते समय सीमित मात्रा में रासायनिक पदार्थ बाहर निकलते हैं; के रूप में स्याही मिटाने के प्रयोजनार्थ तथा नेल पॉलिश रिमूवर्स, दोनों के रूप में इस्तेमाल के लिए किसी तरह के रासायनिक संघटन के करेक्शन फ्लूड तथा थिनर की बिक्री की अनुमति देना।

(iv) करेक्टिंग फ्लूड/थिनर की अनुप्रयोग युक्तियों (कलम या अन्यथा) पर उनमें निहित वाष्प के अन्त:श्वसन/रसायनों के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में अनिवार्य चेतावनी प्रदर्शित की जानी चाहिए।

आदेश दिया जाता है कि इन उपायों का संबंधित सरकारी विभागों/प्राधिकारियों, कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्राधिकारियों, व्यापार एवं उद्योग द्वारा तत्काल प्रभाव से अनुपालन एवं कार्यान्वयन किया जाए।

अरुण के. पण्डा, संयुक्त सचिव

2619 GI/2012

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2012

F. No. X. 11029/6/2010-DDAP.—Whereas as per the Orders dated 25-11-2011 of the Hon'ble Punjab & Haryana High Court, Chandigarh in the CWP No. 1332 of 2010-Vyakti Vikas Kender Vs. Union of India and Others, a Task Force was constituted by the Ministry of Health & Family Welfare to devise ways and means to regulate and control the sale of correction fluid and thinner, which are chemical substances generally used in offices but reportedly being widely misused by children/street children as intoxicating substance/drug by inhaling them to get stimulating effects like drugs.

And whereas such chemical thinners are also used in various other retail products for various other purposes like nail polish remover.

And whereas the Task Force in its meetings held on 12-1-2012 and 20-1-2012 deliberated on the issue in great detail and was of the unanimous view that one of the measures which may be effective in controlling the problem may be to ban retail sale of these chemicals in bottled form and permit their sale in pen or similar form of devices.

Now, therefore, the Central Government hereby orders the implementation of the following measures with immediate effect :—

(i) Banning of production of bottled Correction Fluids as well as bottled Thinners, of any chemical composition, both for ink erasing purposes as well as for use as Nail Polish removers and similar other purposes for retail sale.

(ii) Banning of sale of bottled Correction Fluids as well as bottled Thinners, of any chemical composition, both for ink erasing purposes as well as for use as Nail Polish removers and similar other purposes.

(iii) Permitting sale of Correction Fluids as well as Thinners, of any chemical composition, both for ink erasing purposes as well as for use as Nail Polish removers and similar other purposes in the form of pens or similar devices which allow limited amounts of the chemicals to come out of those devices when used.

(iv) Mandatory warning should be made on the application devices (pens or otherwise) of correcting fluids/thinners regarding the effects on health on inhalation of vapor/consumption of the chemicals contained therein.

Ordered that these measures are to be complied with and implemented, with immediate effect, by concerned Government Departments/Authorities, law and order authorities, trade and industry.

ARUN K. PANDA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054